मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्रधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जून 2018—आषाढ़ 4, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्रमांक एफ 3-19/2018/1/पांच (55) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करती है, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्यवहार उक्त माल की बिना खरा या परिसंकेतक यूज की सारणी अंतराल के साथ मूल्य में अवकाश, नियमित भंडारण स्थान या अन्य सूचीगत बातें को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अर्थों उसके अधिशृंखला के पश्चात्त यथाशील किया जाएगा।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुसूची</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) लच्छम और आदतनागरी पदार्थ</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) कच्चे (आर्द और लक्ष्मीपत) खाल और चम्म</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) संघाचार पत्र और पत्रक्रम</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) मेट्रोप, कपूर, केसर</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) बाल पाइप फेन के लिए रिफिल</td>
</tr>
<tr>
<td>(6) लाइटर लैडन, जिसके अंतर्गत रिफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं</td>
</tr>
<tr>
<td>(7) सैल, बैटरी और रिचार्जीबल बैटरी</td>
</tr>
<tr>
<td>(8) पेट्रोलियम उत्पाद</td>
</tr>
<tr>
<td>(9) खतरनाक औषधियाँ और मनुष्यप्रभावी पदार्थ</td>
</tr>
<tr>
<td>(10) सीमा शुल्क टैक्स अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की फहरसी अनुसूची के खंड-4 के अर्थात आने वाली योग औषधियाँ और रसायन</td>
</tr>
<tr>
<td>(11) सीमा शुल्क टैक्स अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की फहरसी अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधियाँ उत्पाद</td>
</tr>
<tr>
<td>(12) आतिशबाजी</td>
</tr>
<tr>
<td>(13) चाल चंदन</td>
</tr>
<tr>
<td>(14) चंदन की लकड़ी</td>
</tr>
<tr>
<td>(15) सीमा शुल्क टैक्स अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की फहरसी अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी काराफेड माल</td>
</tr>
<tr>
<td>(16) ऐसा सभी अदायकता/परिपत्रकता माल जो प्रद्युक्तिकरण या नवीन मॉडलों आदि के कारण नूतन में लिफिलित अवकाशण योग्य है।</td>
</tr>
<tr>
<td>(17) उक्त अधिनियम की धारा 67 के अर्थात उदित अधिकारी द्वारा अवहंधीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अर्थात अन्तिम रूप से निर्मिति किया गया है किन्तु संभवतः व्यक्तिक द्वारा, अन्तिम रूप से, निर्मिति के लिए बंधन के नियमादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मिति नहीं लगा गया था।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bhopal, the 25th June 2018

F A 3-13/2018/1/V (55) In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 67 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government hereby notifies the goods or the class of goods (hereinafter referred to as the said goods) mentioned in the Schedule below, which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2) of section 67 of the said Act, be disposed of by the proper officer, having regard to the perishable or hazardous nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space or any other relevant considerations of the said goods.

**Schedule**

1. Salt and hygroscopic substances
2. Raw (wet and salted) hides and skins
3. Newspapers and periodicals
4. Menthol, Camphor, Saffron
5. Re-fills for ball-point pens
6. Lighter fuel, including lighters with gas, not having arrangement for refilling
7. Cells, batteries and rechargeable batteries
8. Petroleum Products
9. Dangerous drugs and psychotropic substances
10. Bulk drugs and chemicals falling under Section VI of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
11. Pharmaceutical products falling within Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
12. Fireworks
13. Red Sandal
14. Sandalwood
15. All taxable goods falling within Chapters 1 to 24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
16. All unclaimed/abandoned goods which are liable to rapid depreciation in value on account of fast change in technology or new models etc.
17. Any goods seized by the proper officer under section 67 of the said Act, which are to be provisionally released under sub-section (6) of section 67 of the said Act, but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of execution of the bond for provisional release.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ARUN PARMAR Dy. Secy.